

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/90/2024

रजू दिनांक: 12.07.2024

रजि० न० 2024/161

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री रामप्रकाश सैनी पुत्र श्री शिम्भूदयाल सैनी,
निवासी मौहल्ला खोहरा, स्कीम नं० 7 अलवर,
जिला अलवर-301001 (राजस्थान)

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अधिकारी
कलकत्ता (प्रतिष्ठा) जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 27.08.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 24.04.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 22.07.2024 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2024/1647 दिनांक 20.08.2024 के द्वारा जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना आवेदन दिनांक 24.04.2024 के परिप्रेक्ष्य में वांछित सूचना की विषयवस्तु इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण, कार्यालय पत्र संख्या 716-717 दिनांक 03.05.2024 के माध्यम से सचिव नगर विकास न्यास, अलवर को मूल आवेदन अंतरित कर आवेदक को भी सूचित किया जा चुका है, अपील के सूचना/अपील के संबंध में इस कार्यालय से कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना की विषयवस्तु इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण कार्यालय पत्रांक 716-717 दिनांक 03.05.2024 के माध्यम से सचिव नगर विकास न्यास, अलवर को मूल आवेदन अंतरित कर आवेदक को भी सूचित किया जा चुका है, अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(रजि०)